छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 1623 / 129 / विज्ञापन / 2008 रायपुर, दिनांक 16 / 12 / 2009

शुद्धि पत्र क्रमांक 04/2009/चयन/दिनांक 16/12/2009

प्रकाशन की तिथि – 23 / 12 / 2009

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 09 / 01 / 2010

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त मांग पत्र क्रमांक एफ–2–26 / 2008 / नौ / 55 दिनांक 29.07.2008 एवं यथासंशोधन के आधार पर **''होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी''** के 57 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 03 / 2009 / चयन / दिनांक 03.07.2009 जारी किया गया था, जिसका ''रोजगार और नियोजन'' के अंक दिनांक 08.07.2009 में प्रकाशन हुआ था।

(2) छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अधिसूचना क्रमांक एफ–2–16 / 2009 / नौ / 55 दिनांक 22.10.2009 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम–1987 में संशोधन करते हुए इसकी सूचना अपने पत्र क्र. एफ–2–16 / 2009 / नौ / 55, रायपुर दिनांक 26.10.2009 के द्वारा आयोग को दी है।

(3) पैरा–2 में दर्शित अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा पूर्व में जारी किए गए विज्ञापन क्रमांक 03 / 2009 / चयन / दिनांक 03.07.2009 के ''आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं'' कंडिका–2.3.1 में दर्शित अनुभव में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय डिप्लोमा के साथ किसी शासकीय संस्था में ''5 वर्ष का अनुभव'' के स्थान पर ''2 वर्ष का अनुभव'' पढ़ा जाए।''

(4) आयोग द्वारा पूर्व में दिनांक 03.07.2009 को जारी किए गए विज्ञापन में विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार किए गए संशोधन के फलस्वरुप **होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी** पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र **दिनांक 23 / 12 / 2009 से दिनांक 08 / 01 / 2010 समय 5.00 बजे** तक मूल विज्ञापन क्र. 03 / 2009 / चयन / दिनांक 03.07.2009 के कंडिका–(5) में उल्लेखित चिन्हित डाकघरों से प्राप्त कर सकते हैं तथा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र अंतिम तिथि **09 / 01 / 2010 के शाम 5.00 बजे तक उक्त चिन्हित डाक घरों में जमा कर सकते हैं।**

(5) **डाक घर में विलंब से जमा किये गये ओ.एम.आर. आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।**

(6) आयोग की वेब साईट (**www.psc.cg.gov.in**) में (आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 08.07.2009 एवं अन्य जानकारी) उपलब्ध है।

(7) इस शुद्धि पत्र के माध्यम से आयोग द्वारा किए गए संशोधन के अधीन आयोग द्वारा पूर्व में प्रसारित विज्ञापन दिनांक 08.07.2009 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

नोटः– प्रकाशित मूल विज्ञापन / शुद्धि पत्र छत्तीसगढ़ संवाद, छोटा पारा, महिला पुलिस थाना के पास, रायपुर (दूरभाष–2236891) से प्राप्त किया जा सकता है। यह शुद्धि पत्र एवं इसके परिशिष्ट भी आयोग की वेबसाइट (**www.psc.cg.gov.in**) में देखा जा सकता है।

हस्ता / –
सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर

नोटः– छ.ग. लोक सेवा आयोग के भवन परिसर / परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन / संचार यंत्र प्रतिबंधित है।